रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246925
CG-DL-E-01072023-246925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
No. 377] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 2023

सा.का.नि. 466 (अ):— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) केनियम 3 में, -

(क) खंड (क) में, उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i)" स्वामित्व का छब्बीस प्रतिशत से अन्यून कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा धारित है:

परंतु यदि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र किसी संबद्ध कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा उस संबद्ध कंपनी में स्वामित्व का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून धारित हो; और";

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) "कैप्टिव प्रयोक्ता" से किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम प्रयोक्ता अभिप्रेत होगा और "कैप्टिव उपयोग" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा:

परंतु कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा विद्युत का उपभोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से हो सकेगा:

परंतु यह और कि किसी कंपनी, जो एक विद्यमान कैप्टिव प्रयोक्ता है, की सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में यथा परिभाषित, द्वारा उपभोग भीकैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

(4क) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि समुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी;

(4ख) जहां किसी इकाई को अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है, तो अनुज्ञप्ति की अवधि, अधिनियम के लागू होने की तारीख से पच्चीस वर्ष होगी;

(4ग) अधिनियम की धारा 14 के अधीनसमुचित आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति और उक्त धारा 14 के पहले, दूसरे और पांचवें परंतुक के अधीनसमझी गई अनुज्ञप्ति को, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, नवीनीकृत माना जाएगा:

परंतु ऐसा नवीनीकरण, एक बार में पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उससे कम अवधि के लिए होगा:

परंतु यह और कि जहां समुचित आयोग ने इन नियमों की अधिसूचना से पहले अनुज्ञप्ति का किसी विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकरण किया हो, तो इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को उस विशिष्ट अवधि के लिए नवीनीकृत माना जाएगा।

परंतु यह और कि यह नियम अधिनियम की धारा 63 के अधीन, टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयनित, पारेषण विकासकर्ताओं को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति पर लागू नहीं होगा।

4. उक्त नियम के, नियम 19 में -

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ग) के परंतुक में, "कार्यान्वयन अभिकरण" शब्दों के स्थान पर, "मध्यस्थ खरीददार" शब्दरखे जाएंगे; और

(ii) खंड (ड) में, 'सार्वजनिक करेगी' शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम खरीददारों" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम में,

(क) अनुसूची-1में,-

(i) "किसी विशेष माह के लिए टैरिफ की संगणना पूल से अंतिम खरीददार को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर की जाती है, जैसे कि मध्यस्थ खरीददार द्वारा सौर ऊर्जा केंद्रीय पूल, पवन ऊर्जा केंद्रीय पूल और विद्युत की ऐसी आपूर्ति के लिए देय भुगतान योग्य वास्तविक राशि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:"

शब्दों के स्थान पर,"किसी विशिष्ट माह के लिए टैरिफ की संगणना मध्यस्थ खरीददार द्वारा केंद्रीय पूल (अर्थात् सौर विद्युत केंद्रीय पूल, पवन विद्युत केंद्रीय पूल आदि) से अंतिम खरीददार को निर्धारित की गई ऊर्जा के आधार पर की जाती हैऔर ऐसी निर्धारित ऊर्जा के लिए संदेय की जाने वाली वास्तविक रकम नीचे दिए गए दृष्टांतानुसार होगी:" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) सारणी 1 और सारणी 2 में, स्तंभ (5) में, "माह के दौरान आपूर्ति की गई शेड्यूल ऊर्जा" शब्दों के स्थान पर, "मास के दौरान अनुसूचित ऊर्जा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची-2 के,-

(i) पैरा 1 के, उप-पैरा(7) की, मद (ii) में, "6 (i)" अंक कोष्ठकों, एवं अक्षर के स्थान पर, "उप-पैरा(7) की मद (i)" शब्द कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) पैरा3 के शीर्षक को, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना हेतु सूत्र";

(iii) सूत्र में, "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत" अक्षर और शब्दों के स्थान पर "सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत (ईंधन लागत में परिवर्तन सहित)" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 (अ),तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 667 (अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2006 तथा अधिसूचना संख्या 817 (अ),तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-

(a) in clause (a), for sub-clause (i),the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(i) "not less than twenty-six per cent. of the ownership is held by the captive user:

Provided that if the Captive Generating Plant is set up by an affiliate company, not less than fifty-one per cent.of the ownership, is held by the captive user, in that affiliate company;and";

(b) in the Explanationoccurring after sub-rule (2), for clause (b), the following shall be substituted,namely:-

'(b) "captive user" shall mean the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plantand the term "captive use" shall be construed accordingly:

Provided that the consumption of electricity by the captive user may beeither directly or through Energy Storage System:

Provided further that the consumption by a subsidiary company, as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive user.'.

3. In the said rules, after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:-

(4A) Where any entity has been granted licence under section 14 of the Act, the period of the licence shall be in accordance with the terms and conditions of the licence granted by the Appropriate Commission;

(4B) Where an entity is a deemed licensee under the first, second and fifth proviso to section 14 of the Act, the period of the licence shall be twenty five years from the date of the coming into force of the Act;

(4C) The licence granted by the Appropriate Commission under section 14 of the Actand the deemed licence under first, second and fifth proviso to said section 14 shall be deemed to be renewed unless the same is revoked:

Provided that such renewal,shall be for a period of twenty five years at a time or for a lesser period, if requested by the licensee:

Provided further that where the Appropriate Commission has renewed the licence for a particular period before the notification of these rules, the licence shall be deemed to be renewed for that particular period under these rules.

Provided also that this rule shall not apply to the licence granted to transmission developers, selected through tariff based bidding, under section 63of the Act.

4. In the said rules, in Rule 19.-

(A) in sub-rule (1),-

(i) in proviso to clause (c), for the word "implementing agency", the words "intermediary procurer", shall be substituted; and

(ii) in clause (m), for the word 'provide public', the words"publish" shall be substituted;

(B) in sub-rule (2), for the words "renewable energy generators", the words "end procurers" shall be substituted.

5. In the said Rules,

(A) in Schedule-I,-

(i) for the words "Tariff for a particular month is calculated based on actual energy supplied to end procurer from the Pool like that solar power central pool, wind power central pool by the intermediary procurer and actual amount to be payable for such supply of power as illustrated below:" the words "Tariff for a particular Month is calculated based on Energy Scheduled to end procurer from the Central Pool (i.e. Solar Power Central Pool, Wind Power Central Pool etc.) by the Intermediary Procurer and the actual amount to be payable for such scheduled energy as illustrated below:" shall be substituted;

(ii) in Table 1 and 2, in column (5), for the words "Schedule Energy supplied during the Month", the words "Energy Scheduled during the month" shall be substituted;

(B) in Schedule II,-

(i) in paragraph 1, in sub-paragraph (7), in item (ii), for the figures brackets, and letters "6(i)", the words, brackets, letters and figures"item (i) of sub-paragraph (7)" shall be substituted;

(ii) the heading of paragraph 3 shall be substituted, namely:-

"2. Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge";

(iii) in paragraph 3, for serial numbers (4), (5) and (6), the serial numbers (1), (2) and (3) shall be substituted; and

(iv) in Formula, for the letter and words "C is incremental Average Power Purchase Cost" the letter and words "C is incremental Average Power Purchase Cost (including the change of fuel cost)" shall be substituted.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and subsequent amendments vide notification number G.S.R 667 (E), dated the 26th October, 2006 and notification number G.S.R. 817 (E) dated 31st December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 379(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 द्वारा सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,नामतः —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(1) ये नियम विद्युत नियम,2005 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक परिप्रेक्ष्य अन्यथा अपेक्षा नहीं करे :

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है ;

(ख) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्ति का अर्थ उन्हें अधिनियम में दिया गया अर्थ होगा।

3. कैप्टिव उत्पादक संयंत्र की आवश्यकताएं :

(1) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक "कैप्टिव उत्पादक संयंत्र" के रूप में अर्हक नहीं होगा —

(क) विद्युत संयंत्र के मामले में —

(i) स्वामित्व का कम-से-कम छब्बीस. प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और

(ii) वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिए की जाती है :

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में ऊपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जाएगी :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र में कुल कम-से-कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे ;

(ख) ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित ऊपर उप-खंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती हैं न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन।

स्पष्टीकरण :-

(1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निर्धारण कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जाएगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के सदंर्भ में ; और

(2) उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों से संबद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।

उदाहरण : प्रत्येक 50 मेगावाट की क्षमता वाली दो यूनिटों नामतः 'क' और 'ख' सहित एक उत्पादक स्टेशन में 50 मेगावाट की एक यूनिट नामतः यूनिट 'क' को कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात किया जा सकता है। कैप्टिव प्रयोक्ता कंपनी में इक्विटी शेयर का तेरह प्रतिशत से कम (50 प्रतिशत की यूनिट 'क' के समानुपात में छब्बीस प्रतिशत वाली) धारित नहीं करेंगे और कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित यूनिट 'क' में उत्पादित विद्युत का इक्यावन प्रतिशत से कम खपत नहीं किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित करना कैप्टिव प्रयोक्ताओं का दायित्व होगा कि ऊपर उप-नियम (1) के उप-खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतिशतता पर कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत बनाई रखी जाती है और अगर किसी भी वर्ष में कैप्टिव प्रयोग की न्यूनतम प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है तो उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ऐसा माना जाएगा मानों यह किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति है।

स्पष्टीकरण :- (1) इस नियम के प्रयोजनार्थ –

(क) **"वार्षिक आधार"**किसी वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ;

(ख) **"कैप्टिव प्रयोक्ता"** का अर्थ किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंत प्रयोक्ता होगा और "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्द का तदनुसार अर्थ माना जाएगा ;

(ग) किसी उत्पादक स्टेशन अथवा किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के संबंध में **"स्वामित्व"** का अर्थ मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा। अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ उत्पादक स्टेशन अथवा विद्युत संयंत्र पर मालिकाना हित और नियंत्रण होगा ;

(घ) **"विशेष प्रयोजन साधन"** का अर्थ किसी उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व रखने, प्रचालित करने और अनुरक्षण करने वाला कानूनी संगठन होगा और इस कानूनी संगठन द्वारा कोई अन्य व्यवसाय अथवा कार्यकलाप नहीं किया जाएगा।

4. **वितरण प्रणाली :** अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (19) के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में विद्युत लाइन, सब-स्टेशन और विद्युतीय संयंत्र भी शामिल होंगे, जिनका प्राथमिक तौर पर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसी लाइन, सब-स्टेशन अथवा विद्युतीय संयंत्र उच्च दाब केबल अथवा ऊपरी लाइनें हैं अथवा ऐसे उच्च दाब केबलों अथवा ऊपरी लाइनों से संबद्ध हैं; अथवा अन्यों के लिए विद्युत पारेषित करने के प्रयोजनार्थ आनुषंगिक प्रयोग किया जाता है, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण करने के प्रयोजनार्थ रख-रखाव किया जाता है।

5. **पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा दिए निर्देशों का अनुपालन :**

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र,क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी मामला हो ; अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 26, धारा 28 की उप-धारा (3) ; धारा 29 की उप-धारा (1), धारा 32 की उप-धारा (2) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश दे सकते हैं, जिन्हें वे किसी पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझें और पारेषण लाइसेंसधारी ऐसे सभी निर्देशों का विधिवत पालन करेगा।

(2) उपयुक्त आयोग, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दाखिल आवेदन पर और पारेषण लाइसेंसधारी की सुनवाई करने के बाद अगर संतुष्ट है कि पारेषण लाइसेंसधारी निरंतर रूप से पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहा है तो वह राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों पर जैसा आयोग निर्णय ले ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली के प्रचालन का नियंत्रण अपने पास लेने का निर्देश जारी कर सकता है।

(3) ऊपर उप-नियम (1) और (2) के अधीन निर्देश किसी अन्य कार्रवाई, जो अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन पारेषण लाइसेंसधारी के विरूद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

6. **धारा 38 के अधीन अधिभार :** धारा 38 के अधीन पारेषण प्रभार पर अधिभार, धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के उप-खंड (ii) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अधिभार की प्रगामी कमी का तरीका और ऐसे अधिभार के भुगतान और उपयोग का तरीका अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन उस राज्य, जिसमें उपभोक्ता स्थित है, के उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले व्हीलिंग के लिए प्रभार पर अधिभार, ऐसे अधिभार की प्रगामी प्रयोग के तरीके और ऐसे अधिभार के भुगतान और उपयोग के तरीके के अनुसार होगा।

7. **उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और निर्णायक :** (1) वितरण लाइसेंसधारी धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी के अधिकारीगण शामिल होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 42 की उप-धारक (6) के अधीन राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अथवा नामोदिष्ट किया जाने वाला निर्णायक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका समय-समय पर राज्य आयोग निर्णय करे।

(3) निर्णायक इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के पूर्व अधिनियम के उपबंधों, यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों अथवा उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों पर विचार करेगा।

(4) (क) निर्णायक अपने द्वारा निपटाए जाने वाली उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति, शिकायतों के निवारण में लाइसेंसधारी के प्रत्युत्तर और पिछले छः महीनों के दौरान अधिनियम की धारा 57 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन के मानकों का लाइसेंसधारी के अनुपालन पर निर्णायक की राय का ब्यौरा देते हुए छःमाही आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) उपरोक्त उप-खंड (क) के अधीन रिपोर्ट छः महीने की संगत अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

8. **धारा 79 के अधीन उत्पादक कंपनियों का टैरिफ :** अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अधीन उत्पादक कंपनियों के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा (ख) के अधीन कार्यों के प्रयोग में राज्य आयोग द्वारा पुनर्निर्धारण के अधीन नहीं होगा और उपरोक्त के अधीन राज्य आयोग यह निर्धारित कर सकता है कि क्या राज्य में किसी वितरण लाइसेंसधारी को केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर ऐसी किसी उत्पादक कंपनियों के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) करना अथवा अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए या नहीं।

9. **अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस :** अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 14 के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय प्रचालन के लिए किसी विद्युत के व्यापारी को जारी लाइसेंस विद्युत के ऐसे व्यापारी को किसी राज्य में बिक्रेता से विद्युत खरीदने और ऐसे विद्युत को ऐसे राज्य के राज्य आयोग से अंतःराज्य व्यापार के लिए पृथक लाइसेंस लेने की आवश्यकता के बिना उसी राज्य में किसी क्रेता को ऐसे विद्युत की दुबारा बिक्री करने का भी हकदार बनाएगा।

10. **अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील :** अधिनियम की धारा 111 की उप-धारा (2) के अनुसार अधिनियम के लागू होने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील केन्द्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित तारीख, जिस दिन से अपीलीय न्यायाधिकरण कार्य करना प्रारंभ करता है, से पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है।

11. **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार :** धारा 154 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 153 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय गठित होने के समय तक बाधित नहीं होगा।

12. **अपराध का संज्ञान :** (1) पुलिस को उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई लिखित शिकायत पर अधिनियम के अधीन पुलिस दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी।

(2) पुलिस किसी शिकायत की जांच के लिए लागू सामान्य कानून के अनुसार शिकायत की जांच करेगी। शिकायत की जांच के प्रयोजनार्थ पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथाउपलब्ध सभी शक्तियां होंगी।

(3) जांच के बाद पुलिस उप-खंड (1) के अधीन दाखिल शिकायत के साथ एक रिपोर्ट अधिनियम के अधीन विचारण के लिए न्यायालय को अग्रेषित करेगी।

(4) उपरोक्त उप-खंड (1), (2) और (3)में कुछ विहित होते हुए भी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सीधे उपयुक्त न्यायालय में दाखिल की जा सकती है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ विहित होते हुए भी प्रत्येक विशेष न्यायालय विचारण के लिए उसे अभियुक्त को सुपुर्द किये बिना अधिनियम की धारा 135 से 139 में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(6) अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान किसी भी प्रकार भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन कार्रवाईयों को प्रभावित नहीं करेगा ।

13. आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी करना :

केन्द्र सरकार समय-समय पर इन नियमों के कार्यान्वयन और जैसा केन्द्र सरकार उपयुक्त समझे उसके प्रासंगिक अथवा सहायक मामलों के संबंध में आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी कर सकती है।

[फा. सं. 23/54/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2005

G.S.R. 379(E).—In exercise of powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules shall be called the Electricity Rules, 2005.

(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise, requires:

(a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003;

(b) the words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Requirements of Captive Generating Plant.-

(1) No power plant shall qualify as a 'captive generating plant' under section 9 read with clause (8) of section 2 of the Act unless-

(a) in case of a power plant -

(i) not less than twenty six percent of the ownership is held by the captive user(s), and

(ii) not less than fifty one percent of the aggregate electricity generated in such plant, determined on an annual basis, is consumed for the captive use:

Provided that in case of power plant set up by registered cooperative society, the conditions mentioned under paragraphs at (i) and (ii) above shall be satisfied collectively by the members of the co-operative society:

Provided further that in case of association of persons, the captive user(s) shall hold not less than twenty six percent of the ownership of the plant in aggregate and such captive user(s) shall consume not less than fifty one percent of the electricity generated, determined on an annual basis, in proportion to their shares in ownership of the power plant within a variation not exceeding ten percent;

(b) in case of a generating station owned by a company formed as special purpose vehicle for such generating station, a unit or units of such generating station identified for captive use and not the entire generating station satisfy (s) the conditions contained in paragraphs (i) and (ii) of sub-clause (a) above including -

Explanation :-

(1) The electricity required to be consumed by captive users shall be determined with reference to such

generating unit or units in aggregate identified for captive use and not with reference to generating station as a whole; and

(2) the equity shares to be held by the captive user(s) in the generating station shall not be less than twenty six per cent of the proportionate of the equity of the company related to the generating unit or units identified as the captive generating plant.

Illustration: In a generating station with two units of 50 MW each namely Units A and B, one unit of 50 MW namely Unit A may be identified as the Captive Generating Plant. The captive users shall hold not less than thirteen percent of the equity shares in the company (being the twenty six percent proportionate to Unit A of 50 MW) and not less than fifty one percent of the electricity generated in Unit A determined on an annual basis is to be consumed by the captive users.

(2) It shall be the obligation of the captive users to ensure that the consumption by the Captive Users at the percentages mentioned in sub-clauses (a) and (b) of sub-rule (1) above is maintained and in case the minimum percentage of captive use is not complied with in any year, the entire electricity generated shall be treated as if it is a supply of electricity by a generating company.

Explanation.- (1) For the purpose of this rule.-

(a) **"Annual Basis"** shall be determined based on a financial year;

(b) **"Captive User"** shall mean the end user of the electricity generated in a Captive Generating Plant and the term **"Captive Use"** shall be construed accordingly;

(c) **"Ownership"** in relation to a generating station or power plant set up by a company or any other body corporate shall mean the equity share capital with voting rights. In other cases ownership shall mean proprietary interest and control over the generating station or power plant;

(d) **"Special Purpose Vehicle"** shall mean a legal entity owning, operating and maintaining a generating station and with no other business or activity to be engaged in by the legal entity.

4. Distribution System.- The distribution system of a distribution licensee in terms of sub-section (19) of section 2 of the Act shall also include electric line, sub-station and electrical plant that are primarily maintained for the purpose of distributing electricity in the area of supply of such distribution licensee notwithstanding that such line, sub-station or electrical plant are high pressure cables or overhead lines or associated with such high pressure cables or overhead lines; or used incidentally for the purposes of transmitting electricity for others.

5. Compliance with the directions by Transmission Licensee.-

(1) The National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, as the case may be, or the State Load Despatch Centre, may, under section 26, sub-section (3) of section 28, sub-section (1) of section 29, sub-section (2) of section 32 and sub-section (1) of section 33 read with clause (b) of section 40 of the Act, give such directions,

1756 GI/05

as it may consider appropriate for maintaining the availability of the transmission system of a Transmission Licensee and the Transmission Licensee shall duly comply with all such directions.

(2) The Appropriate Commission, on an application filed by the National Load Despatch Centre, the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre and after hearing the Transmission Licensee, if satisfied that the Transmission Licensee has persistently failed to maintain the availability of the transmission system, may issue such directions to the National Load Despatch Centre, the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre to take control of the operations of the transmission system of such Transmission Licensee for such period and on such terms, as the Commission may decide.

(3) The direction under sub-rules (1) and (2) above shall be without prejudice to any other action which may be taken against the Transmission Licensee under other provisions of the Act.

6. The surcharge under section 38 : The surcharge on transmission charges under section 38, the manner of progressive reduction of such surcharge and the manner of payment and utilization of such surcharge to be specified by the Central Commission under sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (2) of section 38 shall be in accordance with surcharge on the charges for wheeling, the manner of progressive reduction of such surcharge and the manner of payment and utilization of such surcharge as may be specified by the Appropriate Commission of the State in which the consumer is located under sub-section (2) of section 42 of the Act.

7. **Consumer Redressal Forum and Ombudsman.-** (1) The distribution licensee shall establish a forum for redressal of grievances of consumers under sub-section (5) of section 42 which shall consist of officers of the licensee.

(2) The Ombudsman to be appointed or designated by the State Commission under sub-section (6) of section 42 of the Act shall be such person as the State Commission may decide from time to time.

(3) The Ombudsman shall consider the representations of the consumers consistent with the provisions of the Act, the Rules and Regulations made hereunder or general orders or directions given by the Appropriate Government or the Appropriate Commission in this regard before settling their grievances.

(4) (a) The Ombudsman shall prepare a report on a six monthly basis giving details of the nature of the grievances of the consumer dealt by the ombudsman, the response of the Licensees in the redressal of the grievances and the opinion of the ombudsman on the Licensee's compliance of the standards of performance as specified by the Commission under section 57 of the Act during the preceding six months.

(b) The report under sub-clause (a) above shall be forwarded to the State Commission and the State Government within 45 days after the end of the relevant period of six months.

8. **Tariffs of generating companies under section 79.-** The tariff determined by the Central Commission for generating companies under clause (a) or (b) of sub-section (1) of section

175GI/05-4

79 of the Act shall not be subject to re-determination by the State Commission in exercise of functions under clauses (a) or (b) of sub-section (1) of section 86 of the Act and subject to the above the State Commission may determine whether a Distribution Licensee in the State should enter into Power Purchase Agreement or procurement process with such generating companies based on the tariff determined by the Central Commission.

9. **Inter-State trading Licence.-** A licence issued by the Central Commission under section 14 read with clause (e) of sub-section (1) of section 79 of the Act to an electricity trader for Inter-State Operations shall also entitle such electricity trader to undertake purchase of electricity from a seller in a State and resell such electricity to a buyer in the same State, without the need to take a separate licence for intra-state trading from the State Commission of such State.

10. **Appeal to the Appellate Tribunal.-** In terms of sub-section (2) of section 111 of the Act, the appeal against the orders passed by the adjudicating officer or the appropriate commission after the coming into force of the Act may be filed within forty-five days from the date, as notified by the Central Government, on which the Appellate Tribunal comes into operation.

11. **Jurisdiction of the courts.-** The Jurisdiction of courts other than the special courts shall not be barred under sub-section (1) of section 154 till such time the special court is constituted under sub-section (1) of section 153 of the Act.

12. **Cognizance of the offence-** (1) The police shall take cognizance of the offence punishable under the Act on a

complaint in writing made to the police by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them in this regard or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be.

(2) The police shall investigate the complaint in accordance with the general law applicable to the investigation of any complaint. For the purposes of investigation of the complaint the police shall have all the powers as available under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) The police shall, after investigation, forward the report along with the complaint filed under sub-clause (1) to the Court for trial under the Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (1), (2) and (3) above, the complaint for taking cognizance of an offence punishable under the Act may also be filed by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be directly in the appropriate Court.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, every special court may take cognizance of an offence referred to in sections 135 to 139 of the Act without the accused being committed to it for trial.

(6) The cognizance of the offence under the Act shall not in any way prejudice the actions under the provisions of the Indian Penal Code.

13. Issue of Orders and Practice Directions.-

The Central Government may from time to time issue Orders and practice directions in regard to the implementation of these rules and matters incidental or ancillary thereto as the Central Government may consider appropriate.

[F. No. 23/54/2004-R & R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

First Amendment

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2006/कार्तिक 4, 1928
No. 517] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 667(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) ये नियम विद्युत (संशोधन) नियम, 2006 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

(2) विद्युत अधिनियम, 2005 के नियम 7 में उप-नियम (1) को निम्नलिखित उप-नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(1) वितरण लाइसेंसधारी धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी के अधिकारीगण शामिल होंगे । उचित आयोग एक स्वतंत्र सदस्य नामित करेगा जो उपभोक्ता मामलों से अवगत हों : बशर्ते कि मंच के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति का तरीका तथा योग्यता एवं अनुभव और मंच द्वारा उपभोक्ताओं के शिकायतों व अन्य समान मामलों का निवारण राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।"

[फा. सं. 23/23/2005-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

नोट :—मुख्य नियमों का सं. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 8 जून, 2005 द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Electricity Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in Rule 7, for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The distribution licensee shall establish a Forum for Redressal of Grievances of Consumers under sub-section (5) of Section 42 which shall consist of officers of the licensee. The Appropriate Commission shall nominate one independent member who is familiar with the consumer affairs :

Provided that the manner of appointment and the qualification and experience of the persons to be appointed as member of the Forum and the procedure of dealing with the grievances of the consumers by the Forum and other similar matters would be as per the guidelines specified by the State Commission."

[F. No. 23/23/2005-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Note :—The Principal Rules were published *vide* No. G.S.R. 379(E), dated the 8th June, 2005 in the Gazette of India dated the 8th June, 2005.

3412 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Second Amendment

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224061
CG-DL-E-31122020-224061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
No. 681] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 817(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 के नियम 7 में,

   (क) पार्श्व शीर्षक में "उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

   (ख) उप-नियम (1) और उसके प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 23/05/2020-आर एंड आर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 379 (अ) तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 667 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 7,-

   (a) In the marginal heading, the word "Consumer Redressal Forum and" shall be omitted;

   (b) sub-rule (1) and the proviso thereof shall be omitted.

[F. No. 23/05/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 379 (E), dated the 8th June, 2005 and last amended vide notification number G.S.R. 667(E), dated the 26th October, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 818(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "**अधिनियम**" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

   (ख) "**आवेदक**" से किसी परिसर का ऐसा स्वामी और अधिभोगी अभिप्रेत है जो अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, विद्युत की आपूर्ति, स्वीकृत भार या अनुबंधित मांग में वृद्धि या कमी करने, शीर्षक में परिवर्तन या नामांतरण, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, आपूर्ति को वियोजित करने या पुनः चालू करने, या करार को समाप्त करने, कनेक्शन के स्थानांतरण या अन्य सेवाओं, यथास्थिति, के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष कोई आवेदन पत्र देता है;

   (ग) "**आवेदन**" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित प्रपत्र में सभी दस्तावेजों और अन्य अनुपालनों सहित हर दृष्टि से पूर्ण हो;

   (घ) "**बिल चक्र या बिल अवधि**" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रवर्गों के लिए, आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, नियमित विद्युत बिल जारी किए जाते हैं;

   (ङ) "**आयोग**" से अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

   (च) "**उपभोक्ता**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, उसके स्वयं के उपयोग के लिए, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन साधारण जनता

Third Amendment

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241614
CG-DL-E-02012023-241614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944
No. 813] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 911(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे:–

"(कक) **"केन्द्रीय पूल"** से अधिनियम की धारा 63 के अधीन और एक से अधिक राज्य के अंतिम खरीददारों को आपूर्ति करने के लिए समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बोली दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसारप्राधिकृत मध्यस्थ खरीददारों द्वारा खरीदे जा रहे अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से श्रेणी विशिष्ट पूल अभिप्रेत है जिससे इन नियमों के अधीन एकसमान टैरिफ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऐसी विद्युत की संबंधित पूल से सभी अंतिम खरीददारों कोआपूर्ति की जा सके।

(कख) **"अंतिम खरीददार"** से वे व्यक्ति, जिन्हें अधिनियम की धारा 15 के अधीन विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति की अनुज्ञप्ति दी गई है या राज्य सरकार द्वारा विद्युत का वितरण और खुदरा आपूर्ति करने वाले

अनुज्ञप्तिधारकों की ओर से विद्युत खरीदने के लिए निर्दिष्ट किया गया है या खुले अभिगम उपभोक्ता अभिप्रेत हैं।

(कग) **"कार्यान्वयन अभिकरण"** से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा "केन्द्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ" के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर यथा अधिसूचित केन्द्रीय अभिकरणअभिप्रेत है।

(कघ) **"मध्यस्थ खरीददार"** से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन उत्पादक कंपनियों से विद्युत खरीदने और उसे खरीदारियों के संयोजन द्वारा या अन्यथा अंतिम खरीददार को फिर से बेचने के लिए अंतिम खरीददार और उत्पादक कंपनी के बीच मध्यस्थ के रूप में अभिहीत कंपनी अभिप्रेत है।

(कङ) **"नवीकरणीय ऊर्जा"** से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत अभिप्रेत है।

(कच) **"नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत"** से भंडारण सहित या उसके बिना जल, पवन, सौर, बायोमास, जैव-ईंधन, जैव-गैस, नगरपालिका और ठोस अपशिष्ट सहित अपशिष्ट, भू-तापीय, ज्वारीय, महासागरीय ऊर्जा के रूप, या उनके संयोजन, और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य स्रोत अभिप्रेत हैं।

(कछ) **"एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ"** से कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सौर विद्युत केन्द्रीय पूल, पवन विद्युत केन्द्रीय पूल जैसी केन्द्रीय पूल की प्रत्येक श्रेणी के लिए मासिक आधार पर पृथक रूप से संगणित टैरिफ अभिप्रेत है, जिस पर मध्यस्थ खरीददार इन नियमों के अधीन उस केन्द्रीय पूल से नवीकरणीय ऊर्जा से सभी अंतिम खरीददारों को विद्युत बेचेगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 10 के लिए, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"10.**विवादों का समाधान.**–(1) समुचित आयोग , धारा 79 (च) की उप-धारा (1) और धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन, विवाद के समाधान के लिए अंतिम आदेश, आयोग में याचिका की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पारित करेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज कारणों से तीस दिनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है:

परंतु यदि, लिखित रूप में दर्ज, किसी कारण से, अंतिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, तो समुचित आयोग द्वारा उप-नियम (1) में निर्धारित समय सीमा के भीतर एक अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा।

(2) यदि समुचित आयोग द्वारा यथास्थिति, एक सौ बीस दिनों या एक सौ पचास दिनोंके भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, तो व्यथित पक्ष को,विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।"

4. उक्त नियमोंमें, नियम 12 के पश्चात, निम्नलिखित नियमअंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात:-

"13. **खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं द्वारा भुगतानयोग्य अधिभार**–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य आयोग द्वारा अवधारित अधिभार, आपूर्ति की औसत लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

14. **वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विद्युत खरीद लागतों की समय पर वसूली**–समुचित आयोग इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिनों के भीतर, ईंधन के मूल्य, या विद्युत क्रय लागतों में भिन्नता के कारण उत्पन्न, लागत की वसूली के लिए मूल्य समायोजन सूत्र विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी भिन्नता के कारण लागत में प्रभाव इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, मासिक आधार पर, उपभोक्ता टैरिफ में स्वत: ही पारित हो जाएगा और समुचित आयोग द्वारा ऐसे मासिक स्वत: समायोजन को वार्षिक आधार पर ट्रू-अप किया जाएगा।

परंतु जब तक समुचित आयोग द्वारा ऐसी क्रिया पद्धति और सूत्र विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते है, तब तक इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद्धति और सूत्र लागू रहेंगे:

परंतु यह और कि समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मौजूदा पद्धति और सूत्र को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के स्वत: पास-थ्रू को, मासिक आधार पर, कार्यान्वित करने के लिए, इन नियमों के अनुसार उपयुक्तत: संशोधित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के सिवाए,समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है,इसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू-अप के दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा और किसी वित्तीय वर्ष के लिए, समुचित आयोग द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का ट्रू-अप, अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक पूरा किया जाएगा।

15. **सब्सिडी का लेखांकन**–अधिनियम की धारा 65 के प्रयोजन के लिए देय सब्सिडी का लेखांकन, इस संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक संचालन कार्यविधि के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जाएगा।

16. **संसाधन पर्याप्तता**–(1) इन नियमों केप्रारंभ की तारीख से छह माह के भीतर,केंद्रीय सरकार द्वारा, प्राधिकारी के परामर्श से, उत्पादन आयोजना चरण (एक वर्ष या इससे अधिक) के दौरान, के साथ-साथ प्रचालनात्मक आयोजना चरण (एक वर्ष तक) के दौरान संसाधन पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

(2) राज्य आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करेंगे और विनियामकों के मंच द्वारा बनाए गए मॉडल विनियमों, यदि कोई हों, इन विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारक संसाधन पर्याप्तता संबंधी विनियम तैयार करेगा, और आयोग के अनुमोदन का प्रयास करेंगे।

(3) राज्य आयोग, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संसाधन पर्याप्तता दिशा-निर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारक के लिए, संसाधन पर्याप्तता का पुनर्वलोकन करेगा।

(4) राज्य आयोग, आयोग द्वारा अनुमोदित संसाधन पर्याप्तता लक्ष्य के अनुपालन में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र,केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक आधार पर, क्रमशः राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, प्रचालनात्मक आयोजना के लिए, संसाधन पर्याप्तता का मूल्यांकन करेंगे।

(6) राज्य भार प्रेषण केंद्र,केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और राज्य आयोग के निदेशों के अनुसार, वार्षिक आधार पर, सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से, राज्य स्तर पर, प्रचालनात्मक आयोजना के लिए, संसाधन पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा।

(7) राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रचालनात्मक संसाधन पर्याप्तता की दैनिक, मासिक और त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगा।

17. **जल विद्युत का विकास**–(1) प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जलविद्युत उत्पादन स्कीम को सहमति प्रदान करने के मामलों का, हर प्रकार से पूर्ण, स्कीम को प्रस्तुत करने की तारीख से एक सौ पचास दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

(2) प्राधिकरण, ऑफ-द-रिवर पम्प्ड स्टोरेज प्लांट स्कीम को सहमति प्रदान करने के मामलों का, हर प्रकार से पूर्ण,स्कीम को प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर विनिश्चय करेगा।

18. **ऊर्जा भंडारण प्रणाली**–(1) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को, अधिनियम की धारा 2के खंड (50)के अधीन यथा-परिभाषित, विद्युत प्रणाली का एक भाग माना जाएगा।

(2) ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग या तो स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली या नेटवर्क परिसंपत्ति के रूप में या उत्पादन, पारेषण और वितरण के पूरक के रूप में किया जाएगा।

(3) ऊर्जा भंडारण प्रणाली को उसके अनुप्रयोग क्षेत्र अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण के आधार पर दर्जा प्रदान किया जाएगा।

(4) ऊर्जा भंडारण प्रणाली को किसी उत्पादन कंपनी या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारक या किसी प्रणाली प्रचालक या किसी स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण सेवा प्रदाता द्वारा विकसित किया, स्वामित्व, पट्टे पर लिया या संचालित किया जा सकता है और जब किसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का स्वामित्व और प्रचालन किसी उत्पादन स्टेशन या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जाता हो और उसके साथ सह-स्थित हो, तोइसकी विधिक स्थिति वही होगी, जो स्वामी की है;

परंतु यदि ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, उत्पादन केंद्र या वितरण अनुज्ञप्तिधारक, के साथ सह-स्थित नहीं है, किंतु स्वामित्व और प्रचालन उनका है, तो विधिक स्थिति अभी भी वही होगी जो स्वामी की है, किंतु शेड्यूलिंग और प्रेषण और अन्य मामलों के प्रयोजन के लिए इसे किसी पृथक भंडारण घटक के समान माना जाएगा।

(5) ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकासकर्ता या स्वामी के पास उत्पादन या पारेषण या वितरण में संलिप्त किसी यूटिलिटी कोया भार प्रेषण केंद्र को भंडारण स्थान को संपूर्ण या आंशिक रूप से बेचने या पट्टे पर देने या किराए पर देने का विकल्प होगा:

परंतु ऊर्जा भंडारण प्रणाली का स्वामी, विद्युत खरीदने और भंडारित करने और भंडारित विद्युत को किसी बाद के समय या तारीख को बेचने के लिए, आंशिक या संपूर्ण भंडारण स्थान का स्वयं उपयोग कर सकता है।

(6) अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली किसी उत्पादन कंपनी के समान एक अनुज्ञप्तिरहित गतिविधि होगी:

परंतु यदि स्वामी या विकासकर्ता या पट्टेदार या किराएदार या उपयोगकर्ता ऊर्जा भंडारण प्रणाली को एक स्वतंत्र ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में संचालित करना चाहता है, तो इसे प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता प्राधिकरण द्वारा सत्यापित की जाएगी।

19. **केंद्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ का कार्यान्वयन**–(1) (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग केंद्रीय पूल होगा:

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे केंद्रीय पूल की अवधि पांच वर्ष होगी और प्रत्येक पांच वर्ष के लिए, एक नया केंद्रीय पूल बनाया जाएगा।

(ख) कार्यान्वयन अभिकरण, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में निर्दिष्ट क्रिया पद्धति के अनुसार, मासिक आधार पर, मध्यस्थ खरीददार द्वारा अंतिम खरीददार को विद्युत की बिक्री के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ की संगणना करेगी।

(ग) कार्यान्वयन अभिकरण मध्यस्थ खरीददारों के बीच किसी अधिशेष या घाटे वाले टैरिफ के समायोजन के लिए मासिक खाता विवरण भी जारी करेगी और मध्यस्थ खरीददार, यदि मासिक खाता विवरण के अनुसार उसके द्वारा भुगतान देय है तो, पंद्रह दिनों के भीतर अन्य मध्यस्थ खरीददार को उसका भुगतान करेगा:

परंतु कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, विलंब अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जमा पांच प्रतिशत की दर से वहनीय लागत देय होगी।

(घ) विद्युत उत्पादकों और मध्यस्थ खरीददार तथा मध्यस्थ खरीददार और अंतिम खरीददार के बीच परिसमाप्त क्षतियों, शास्तियों, विस्तार प्रभारों, विवाद समाधानों सहित किंतु इन तक ही सीमित नहीं, विद्युत क्रय करारों, विद्युत विक्रय करारों सहित सभी संविदात्मक दायित्व, संबंधित बोली दस्तावेज द्वारा शासित होंगे और एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) विधि में परिवर्तन के कारण टैरिफ पर प्रभाव बोली दस्तावेजों के अनुसार होगा और इन नियमों के अनुसार संगणित पूल्ड टैरिफ में परिलक्षित होगा।

(च) एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ केवल अंतिम खरीददारों द्वारा खरीदी गई विद्युत पर लागू होगा और इसका संबंधित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अधीन प्राप्त किए गए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और विद्युत क्रय करार के अनुसार मध्यस्थ खरीददार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को देय होगा।

परंतु मध्यस्थ खरीददार वितरण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा नहीं खरीदी गई ऐसी किसी विद्युत को पारदर्शी ढंग से खुली पहुंच उपभोक्ताओं ऐसे मूल्य पर बेच सकता है जो एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ से कम न हो और ऐसी बिक्री से एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ से अधिक हुए किसी लाभ को वितरण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में समायोजित किया जाएगा।

(छ) समुचित आयोग या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित (या ऐसी किसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में, मध्यस्थ खरीददार और अंतिम खरीददार के बीच पारस्परिक सहमति के अनुसार), अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को ट्रेडिंग मार्जिन देय होगा।

(ज) समुचित आयोग, यथास्थिति, मध्यस्थ खरीददार या अंतिम खरीददारों, द्वारा किए गए आवेदन पर, अधिनियम की धारा 63 के अधीन और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बोली दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार मध्यस्थ खरीददारों द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए गए टैरिफ को अपनाएगा और नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा की एक श्रेणी का अपनाया गया टैरिफ, केंद्रीय पूल की संबंधित श्रेणी का हिस्सा होगा।

(झ) किसी खुली पहुंच उपभोक्ता के अतिरिक्त, अंतिम खरीददार, इन नियमों के अधीन संगणित किए गए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ पर किसी पूल से विद्युत की खरीद के लिए संबंधित राज्य आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ञ) विद्युत आपूर्ति करार के अनुसार सीधे अंतिम खरीददारों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से द्विपक्षीय शेड्यूलिंग की जाएगी।

(ट) शेड्यूलिंग, लेखांकन, विचलन निपटान तंत्र समुचित आयोग के मौजूदा नियमों के अनुसार होंगे।

(ठ) मध्यस्थ खरीददार, संबंधित माह के लिए कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा संगणित एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के अनुसार और संबंधित विद्युत विक्रय करार की शर्तों के अनुसार, मासिक आधार पर, बिल प्रस्तुत करेगा।

(ड) कार्यान्वयन अभिकरण, अपनी वेबसाइट पर, मासिक लेखा विवरण सहित प्रासंगिक विवरण सार्वजनिक करेगी और उसका इन नियमों के अनुसार केंद्रीय पूल से विद्युत की बिक्री के लिए मासिक आधार पर टैरिफ की संगणना के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं होगा और उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

(ढ) इन नियमों के कार्यान्वयन की कार्यविधि, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

2. इन नियमों के अधीन एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों पर उनकी अनुबंधित क्षमता के लिए लागू होगा जो इन नियमों के अधीन केंद्रीय पूल का हिस्सा निर्मित करता है।"

5. उक्त नियमों में, मौजूदा नियम 13 को नियम 20 के रूप में पुनः-क्रमांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 23/2/2022- आरएण्डआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

अनुसूची-1

[नियम 19(1)(ख)के प्रति निर्देश]

माह के लिए टैरिफ की संगणना के लिए क्रिया पद्धति

किसी विशेष माह के लिए टैरिफ की संगणना पूल से अंतिम खरीददार को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर की जाती है, जैसे कि मध्यस्थ खरीददार द्वारा सौर ऊर्जा केंद्रीय पूल, पवन ऊर्जा केंद्रीय पूल और विद्युत की ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतानयोग्य वास्तविक राशि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

स्कीम	क्षमता	टैरिफ-पीपीए	टैरिफ-पीएसए	महीने के दौरान आपूर्ति की गई शेड्यूल ऊर्जा	पीपीए के अधीन आईपी द्वारा परियोजना विकासकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली राशि	पीएसए के अधीन ईपी द्वारा आईपी को भुगतान की जाने वाली राशि
	(मेगावाट)	(भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच)	(भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन रुपए में)	(मिलियन रुपए में)
		क	(ख=क+रुपए0.07//केडब्ल्यूएच)	ग	(घ=क x ग)	(ङ=ख x ग)
टी-I	2000	2.502	2.572	415.95	1040.70	1069.81
टी-II	600	2.440	2.510	131.49	320.84	330.04
टी-III	1200	2.585	2.655	248.34	641.96	659.34
टी-IV	1150	2.540	2.610	234.63	595.97	612.39
टी-V	480	2.613	2.683	95.97	250.72	257.44
टी-VI	900	2.710	2.780	174.22	472.15	484.34
टी-VIII	1200	2.502	2.572	258.60	646.92	665.03
टी-IX	2000	2.372	2.442	438.30	1039.65	1070.33
कुल	**9530**			**1997.50**	**5008.90**	**5148.73**

माह का टैरिफ (भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच)$=\frac{\sum_i^n E}{\sum_i^n C}=\frac{\sum_1^9 E}{\sum_1^9 C}=\frac{5148.73}{1997.50}=2.578$

अर्थात **(उस विशेष माह के लिए विद्युत आपूर्ति समझौते के अधीन भुगतान की जाने वाली कुल राशि/उस विशेष माह के दौरान आपूर्ति की गई कुल बिजली की राशि)**

टी-I से टी-IX तक वे परियोजनाएं हैं जिन्हें विद्युत (केंद्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ) नियम, 2022 के लागू होने के पश्चात शुरू किया गया है।

पूल का निरंतर प्रचालन:

यदि मान लें कि उपरोक्त परिदृश्य एम-4 (?) माह से संबंधित है। एम-5 (?) माह की शुरुआत में, 250 मेगावाट (टी-X) की अतिरिक्त क्षमता शुरू की जा रही है और इसे पूल के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाना है। तदनुसार, एम-5 माह के दौरान उत्पादन पर विचार करते हुए, एम-5 माह के लिए टैरिफ की संगणना एम-5 माह के दौरान वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार की जाएगी:

स्कीम	क्षमता	टैरिफ-पीपीए	टैरिफ-पीएसए	माह के दौरान आपूर्ति की गई शेड्यूल ऊर्जा	पीपीए के अधीन आईपी द्वारा परियोजना विकासकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली राशि	पीएसए के अधीन ईपी द्वारा आईपी को भुगतान की जाने वाली राशि
	(मेगावाट)	(भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच)	(भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन रुपए में)	(मिलियन रुपए में)
		क	(ख=क+रुपए0.07//केडब्ल्यूएच)	ग	(घ=क x ग)	(ङ=ख x ग)
टी-I	2000	2.502	2.572	415.95	1040.70	1069.81
टी-II	600	2.440	2.510	131.49	320.84	330.04
टी-III	1200	2.585	2.655	248.34	641.96	659.34
टी-IV	1150	2.540	2.610	234.63	595.97	612.39
टी-V	480	2.613	2.683	95.97	250.72	257.44
टी-VI	900	2.710	2.780	174.22	472.15	484.34
टी-VIII	1200	2.502	2.572	258.60	646.92	665.03
टी-IX	2000	2.372	2.442	438.30	1039.65	1070.33
टी-X*	**250**	**2.17**	**2.24**	**56.61**	**122.85**	**126.81**
कुल	**9780**			**2054.12**	**5131.76**	**5275.54**

* एम-5 महीने में जोड़ा गया नया पूल

माह का टैरिफ (भारतीय रुपए/केडब्ल्यूएच) $=\frac{\sum_1^9 E+E_{10}}{\sum_1^9 C+C_{10}}=\frac{5148.73+126.81}{1997.50+56.61}=\frac{5275.54}{2054.12}=2.568$

अर्थात् **(उस विशेष माह के लिए पीएसए के अधीन भुगतान की जाने वाली कुल राशि/उस विशेष माह के दौरान आपूर्ति की गई कुल विद्युत की राशि)**

टी-I से टी-X तकविद्युत (केंद्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ) नियम, 2022 के लागू होने के बाद शुरू की गई परियोजनाएँ हैं।

टिप्पण: आईपी – मध्यस्थ खरीददार, ईपी – अंतिम खरीददार

अनुसूची-2

(कृपया नियम 14 देखें)

ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन क्रिया पद्धति

1. **ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना:**

(1) इन नियमों के लिए "ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफपीपीएएस) का अर्थ राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण प्रभारों में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई, विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

(2) ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की स्वतःविनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार, ट्रू-अप के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर, जैसा कि राज्य आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार, संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को बिल भेजा जाएगा:

परंतु इन नियमों के अनुसार मासिक बिलिंग के लिए स्वचालित पास-थ्रू को समायोजित किया जाएगा।

(3) ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में, वास्तविक भिन्नता और nवें माह के दौरान खरीदी गई विद्युत के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों के आधार पर (n+2) माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में परिवर्तनों के कारण ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी और उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में बिल भेजे जाएंगे:

परंतु यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है,तोइसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू-अप के दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजनअधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी टैरिफआघात से बचाने के लिए अगले माह तक आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाए जाने की अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसीबिलिंग माह के लिए कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजनअधिभार, जिसमें पिछले माह में ईंधन और विद्युत क्रयसमायोजन अधिभार को किसी प्रकार आगे बढ़ाए जाने सहित,अनुमोदित टैरिफ के परिवर्तनीय घटकके बीस प्रतिशतसे अधिक हो।

(5) आगे बढ़ाए गए अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पहले, जो भी पहले हो, वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूली गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सबसे पहले आगे बढ़ाए गए भाग के अनुसार संगणित किया जाएगा और इसका अनुसरण बाद के माह में भी किया जाएगा।

(6) ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बेस्ड लेंडिंग रेट जमा एक सौ पचास बेसिस पॉइंट की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इसे टैरिफ के माध्यम से वसूला नहीं जाता और इस वहनीय लागत का ट्रू-अप विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।

(7) ईंधन की मात्रा और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के आधार पर, स्वचालित पास-थ्रू को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि,

(i) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार≤5% है, तो संगणित ईंधन की वसूली योग्य लागत का 100% तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वत: वसूला जाएगा।

(ii) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार>5%, 5% ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार उपरोक्त 6(i) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% को सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूला जा सकेगा और राज्य आयोग द्वारा ट्रू-अप के दौरान अनुमोदन के बाद अंतर संबंधी दावा वसूला जा सकेगा।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूले गए राजस्व को,विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में ट्रू-अप किया जाएगा और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ट्रू-अप अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

(9) ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिए वसूले गए अतिरिक्त राजस्व के मामले में, इसे अनुज्ञप्तिधारकों से ट्रू-अपके समय वसूला जाएगा, साथ ही इसकी वहनीय लागत को राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित वहनीय लागत दर के 1.20 गुना पर वसूली जाएगी और ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की कम वसूली को ट्रू-अपकेदौरान, स्वचालित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार राशि के साथ बिल किए जाने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण:–उदाहरण के लिए जुलाई माहमें, मई में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए स्वचालित पास-थ्रू घटक और अतिरिक्त ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, यदि कोई हो, तो पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिए ट्रू-अप होने के बाद वसूली योग्य, को बिल किया जाएगा।

(10) वितरण अनुज्ञप्तिधारक, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए खर्च और वसूलेगए ईंधनऔर विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के बीच भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं और सहायक दस्तावेज, जो कि राज्य आयोग द्वारा अपेक्षित होंगी,सामान्य टैरिफके ट्रू-अप के दौरान प्रस्तुत करेगा।

(11) ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार तंत्र के सुचारू कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारक संबंधी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता के बावजूद इंटरऑपरेबिलिटी या यथा-उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एकसमान बिलिंग प्रणाली मौजूद है।

(12) अनुज्ञप्तिधारक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों के लिए अलग-अलग) की वसूली सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से संगणित करेगा।

2. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना:

(1) सूत्र:

नवें माह के लिए मासिक एफ़पीपीएएस (%) = $\dfrac{(\text{ए-बी})*\text{सी} + (\text{डी-ई})}{\{\text{जेड}* (1- \text{वितरण नुकसान}\%/100 \text{ में})\} * \text{एबीआर}}$

जहां,

नवें माह का अर्थ वह माह होता है जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (n-2) माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में बदलाव के कारण लगाया जाता है

ए सभी स्रोतों से (n-2) माह (केडब्ल्यूएचमें) में खरीदी गई कुल यूनिटें हैं जिनमें

दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि विद्युत खरीद (वितरण अनुज्ञप्तिधारकों को जारी किए गए बिलों से ली जाएगी) शामिल हैं

बी (n-2) माह में सभी स्रोतों से विद्युत की थोक बिक्री है। (केडब्ल्यूएचमें) = (जिसे प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम खातों से लिया जाना है)।

सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत = (n-2) माह में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु./केडब्ल्यूएच) (संगणित) - सभी स्रोतों से अनुमानित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु./केडब्ल्यूएच)-(टैरिफ ऑर्डर से) है

डी = (n-2)वें माह में वास्तविक अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रभार, (ट्रांसको से डिस्कॉम द्वारा बिलों से) (रुपये में), हैं

ई = (n-2)वेंमाह के लिए पारेषण प्रभारों की मूल लागत = (अनुमोदित पारेषण प्रभार/12) (रुपये में) है

जेड = [{(n-2)वें माह में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक विद्युत(केडब्ल्यूएचमें)* (1 – % में अंतर-राज्यीय पारेषण हानियां/100) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई विद्युत (केडब्ल्यूएचमें)}*(1 – % में अंतरा-राज्य हानियाँ) – B]/केडब्ल्यूएचमें 100

एबीआर = वर्ष के लिए औसत बिलिंगदर (रुपये/केडब्ल्यूएच में टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

वितरण हानियाँ (% में) = लक्षित वितरण हानियाँ (**टैरिफ आदेश से**)

अंतर-राज्यीय पारेषण हानियां (% में) = टैरिफ आदेश के अनुसार

अंतरा-राज्यीय हानियाँ (% में) = टैरिफ आदेश के अनुसार

(2) विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र के परिणाम स्वरूप कोई भी प्रभार शामिल नहीं होंगे।

(3) अन्य प्रभारों जिनमें सहायक सेवाएं तथा सिक्योरिटी कंसट्रेंड इकोनोमिक डिस्पैच शामिल हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में शामिल नहीं किया जाएगा और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू-अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

टिप्पण: मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.379 (अ) तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817 (अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

G.S.R. 911(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rules 2 of the Electricity Rules, 2005(hereinafter referred to as the said rules), after clause (a), the following clauses shall be inserted namely:-

"(aa) "**central pool**" means pool of category specific power from Inter State Transmission System connected renewable energy sources being procured by the authorised intermediary procurers under section 63 of the Act and as per provisions of bidding guidelines notified by the Central Government, from time to time for supply to the end procurers of more than one State so that such power from renewable energy sources can be supplied to all end procurersfrom the concerned pool at uniform tariff under these rules.

(ab) "**end procurer**" means the persons to whom a license to undertake distribution and retail supply of electricity has been granted under section 15 of the Act or is designated by the State Government to procure power on behalf of the licensees undertaking distribution and retail supply of electricityor open access consumer;

(ac) "**implementing agency**" means the Central Agency as notified by the Central Government from time to time for the implementation of "uniform renewable energy tariff for central pool" under these rules

(ad) "**intermediary procurer**" means company, designated by an order made by the Central Government under these rules as an intermediary between the end procurer and the generating company to purchase electricity from generating companies and resell it to the end procurer by aggregating the purchases or otherwise under guidelines issued by the Central Government from time to time;

(ae)"**renewable energy**" means the electricity generated from renewable energy sources;

(af)**"renewable energy sources"** means the hydro, wind, solar, bio-mass, bio-fuel, bio-gas, waste including municipal and solid waste, geothermal, tidal, forms of oceanic energy, or combination thereof, with or without storage and such other sources as may be notified by the Central Government from time to time;

(ag)"**uniform renewable energy tariff**" means the tariff, computed by Implementing Agency separately on a monthly basis for each category of central pool like that Solar Power Central Pool, Wind Power Central Pool, at which the intermediary procurer shall sell power from renewable energy from that central pool to all the end procurers under these rules;

3. In the said rules, for rule 10, the following shall be substituted namely:-

"10. Resolution of Disputes.-(1) The Appropriate Commission, shall pass a final order, for resolution of dispute under sub-section (1) of sections 79 (f) and clause (f) of sub-section (1) of section 86, within one hundred and twenty days from the date of receipt of the petition in the Commission, which may be extended by thirty days for reasons to be recorded in writing:

Provided that if a final order cannot be issued, due to any reason, to be recorded in writing, then an interim order shall be issued by the Appropriate Commission, within the time line prescribed in sub-rule (1).

(2) If the final order has not been passed by the Appropriate Commission, within one hundred and twenty days or one hundred and fifty days, as the case may be, the aggrieved party may be allowed to make an application to the Appellate Tribunal, for appropriate relief."

4. In the said rules, after rule 12, the following rules shall be inserted, namely:-

"13. **Surcharge payable by Consumers seeking Open Access.**-The surcharge,determined by the State Commission under clause (a) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act,2003 shall not exceed twenty per cent of the average cost of Supply.

14. **Timely recovery of power purchase costs by distribution licensee.**-The Appropriate Commission shall within ninety days of publication of these rules, specify a price adjustment formula for recovery of the costs, arising on account of the variation in the price of fuel, or power purchase costs and the impact in the cost due to such variation shall be automatically passed through in the consumer tariff, on a monthly basis, using this formula and such monthly automatic adjustmentshall be trued up on annual basis by the Appropriate Commission:

Provided that till such a methodology and formula is specified by the Appropriate Commission, the methodology and formula specified in the Schedule – II annexed to these rules shall be applicable:

Provided further that the existing methodology and the formula specified by the Appropriate Commission shall suitably be amended in accordance with these rules, to implement the automatic pass through of fuel and power purchase adjustment surcharge, on a monthly basis:

Provided also that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surcharge within the time line,specified by the Appropriate Commission, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and in such cases, the right to recovery the fuel and power purchase adjustment surchargedetermined during true-up shall also be forfeited and the true up of fuel and power purchase adjustment surcharge by the Appropriate Commission, for any financial Year, shall be completed by 30th June of the next financial year.

15. **Subsidy Accounting.**—Accounting of due subsidy for the purpose of section 65 of the Act,shall be done by the distribution licensee, in accordance with the Standard Operating Procedure issued by the Central Government, in this regard.

16. **Resource Adequacy.**—(1) A guideline for assessment of resource adequacy during the generation planning stage (one year or beyond) as well as during the operational planning stage (up to one year) shall be issuedby the Central Government in consultation with the Authority, within six months from the date of commencement of these rules.

(2) The State Commission shall frame regulations on resource adequacy, in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the model Regulations framed by Forum of Regulators, if any, the distribution licensees shall formulate the resource adequacy plan in accordance with these Regulations and seek approval of the Commission.

(3) The State Commission shall review the resource adequacy, for each of the distribution licensees, as per the time line given in resource adequacy guidelines issued by the Central Government.

(4) The State Commission may determine non-compliance charges for failure to comply with the resource adequacy target approved by the Commission.

(5) The National Load Dispatch Centre and the Regional Load Dispatch Centres shall carry out assessments of resource adequacy, for operational planning, at the national and regional levels, respectively, on an annual basis, in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(6) The State Load Despatch Centre shall carry out assessments of resource adequacy, for operational planning, at the state level, in consultation with all the concerned stakeholderson an annual basis,in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the directions of the State Commission.

(7) The State Load Despatch Centre shall review the operational resource adequacy on a daily, monthly andquarterly basis.

17. **Development of Hydro Power.-**(1)The Authorityshall decide the cases for grant of concurrence to hydro-electric generation scheme, in accordance with section 8 of the Act, within a period of one hundred fifty days from the date of submission of the scheme, complete in all respect.

(2) The Authority shall decide the cases for grant of concurrence to off-the river pumped storage plant scheme, within ninety days from the date of submission of the scheme, complete in all respect.

18. **Energy Storage System.-** (1) The Energy Storage Systems shall be considered as a part of the power system, as defined under clause (50) of section 2 of the Act.

(2) The Energy Storage System shall be utilised either asindependent energy storage systemor network asset or in complementary with generation, transmission and distribution.

(3) The Energy Storage System shall be accorded status based on its application area i.e. generation, transmission and distribution.

(4) The Energy Storage Systemcan be developed, owned, leased or operated by a generating company or a transmission licensee or a distribution licensee or a system operator or anindependent energy storage service provider and when an Energy Storage System is owned and operated by and co-located with a generating station or a transmission licensee or a distribution licensee, it shall have the same legal status as that of the owner:

Provided that if such an Energy Storage System is not co-located with, but owned and operated by, the generating station or distribution licensee, the legal status shall still be that of the owner but for the purpose of scheduling and dispatch and other matters it shall be treated at par with a separate storage element .

(5) The developer or owner of the Energy Storage System shall have an option to sell or lease or rent out the storage space in whole or in part to any utility engaged in generation or transmission or distribution; or to a Load Despatch Centre:

Provided that the owner of the Energy Storage System may use part or whole of the storage space himself to buy and store electricity and sell the stored electricity ata later time or date.

(6) The independent energy storage system shall be a delicensed activity at par with a generating company in accordance with the provisions of section 7 of the Act:

Provided that if the owner or developeror lessee or tenant oruser seeks to operate the Energy Storage System as an independentenergy storage system, it shall be registered with the Authority and the capacity of such Energy Storage System shall be verified by the Authority.

19. **Implementation of Uniform Renewable Energy Tariff for central pool.**-(1) (a) There shall be a different central pool for each of the sectors of the renewable energy sources:

Explanation: For the purposes of this rule, the duration of such central pool shall be for fiveyears and for every fiveyears,a new Central Pool shall be formed.

(b) The Implementing Agencyshall compute the uniform renewable energy tariff for selling of electricity to end procurer by intermediary procurer,on a monthly basis,as per the methodology specified inthe Schedule-I annexed to these Rules.

(c) The Implementing Agencyshall also issue the monthly account statements for adjustment of any surplus or deficit tariff among the intermediary procurers and the Intermediary Procurershall within fifteen days make the payment as per the monthly account statements to the other intermediary procurer, if the payment is due to it:

Provided that in case of non payment by the Implementing Agencywithinthe stipulated period of fifteen days, the carrying cost at the rate of State bank of IndiaMarginal Cost of Funds based Lending Rate plus five percent shall be payable for the period of delay.

(d) All the contractual obligations between power generators and intermediary procurer and intermediary procurer and end procurer including but not limited to liquidated damages, penalties, extension charges, dispute resolutions shall be governed by respective bidding document including Power Purchase Agreements, Power Sale Agreements and shall have no bearing on uniform renewable energy tariff.

(e) The impact on the tariff due to change in law shall be in accordance with the bidding documents and shall be reflected in the pooled tariff computed in accordance with these rules.

(f) The uniform renewable energy Tariff shall be applicable only to power procured by the end procurers and shall not in any manner have any implication on the renewable energy tariff discovered under the respective tariff based competitive bidding process and payable to renewable energy generators by the intermediary procurer as per the Power Purchase Agreement:

Provided that intermediary procurer may sell any power not purchased by distribution licensees, to open access consumers in a transparent manner at a price not less than uniform renewable energy tariff and any gain from such a sale over and above uniform renewable energy tariff shall be adjusted in the uniform renewable energy tariff for distribution licensees.

(g) The trading margin, as notified by the Appropriate Commission or Central Government (or in the absence of such a notification, as mutually agreed between the intermediary procurer and the end procurer), shall be payable by the end procurer to the intermediary procurer.

(h) The Appropriate Commission, on an application made by the intermediary procurer or end procurers, as the case may be, shall adopt the tariff discovered through competitive bidding process carried out by intermediary procurersunder section 63 of the Act and as per provisions of bidding guidelines notified by the Government from time to time and adopted tariff of one category of renewable energy power shall be part of the respective category of the central pool.

(i) The end procurer, except an open access consumer, shall obtain the approval of the concerned State Commission for procurement of the electricity from a pool at uniform renewable energy tariff computed under these rules

(j) The bilateral scheduling from the renewable energy generators shall be done directly to the end procurers as per the power supply agreement.

(k) The scheduling, accounting, deviation settlement mechanism shall be as per extant regulations of the Appropriate Commission.

(l) The intermediary procurer shall raise the bill, on a monthly basis, as per the uniform renewable energy tariff computed by the Implementing agency for the relevant month and in accordance with the terms of the respective Power Sale Agreement.

(m) The Implementing Agency shall providepublic the relevant details including the monthly accounts statements, on its website and shall have no liability except for computing tariff on a monthly basis for sale of power from the central pool as per these rules and shall be kept indemnified.

(n) The procedures for implementation of these rules shall be provided by the implementing agency, with the approval of the Central Government.

2. The uniform renewable energy tariff under these rules shall be applicable only to the renewable energygenerators for their contracted capacity which forms part of central pool under these rules."

5. In the said rules, the existing rule 13 shall be renumbered as rule 20.

[F. No. 23/2/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Schedule-I

[Refer rule 19(1)(b)]

Methodology for calculation of tariff for the Month

Tariff for a particular month is calculated based on actual energy supplied to end procurer from the Pool like thatsolar power central pool, wind power central pool by the intermediary procurer and actual amount to be payable for such supply of power as illustrated below:

Scheme	Capacity	Tariff-PPA	Tariff-PSA	Schedule Energy supplied during the Month	Amount to be paid toProject developers by IPunder PPA	Amount to be paid to IP by EP under PSA
	(MW)	(INR/kWh)	(INR/kWh)	(MU)	(Rs in Million)	(Rs in Million)
		A	(B=A+ Rs 0.07/kWh)	C	(D=A x C)	(E= B x C)
T-I	2000	2.502	2.572	415.95	1040.70	1069.81
T-II	600	2.440	2.510	131.49	320.84	330.04
T-III	1200	2.585	2.655	248.34	641.96	659.34
T-IV	1150	2.540	2.610	234.63	595.97	612.39
T-V	480	2.613	2.683	95.97	250.72	257.44
T-VI	900	2.710	2.780	174.22	472.15	484.34
T-VIII	1200	2.502	2.572	258.60	646.92	665.03
T-IX	2000	2.372	2.442	438.30	1039.65	1070.33
Total	**9530**			**1997.50**	**5008.90**	**5148.73**

Tariff of the Month (INR/kWh) $= \frac{\sum_i^n E}{\sum_i^n C} = \frac{\sum_1^9 E}{\sum_1^9 C} = \frac{5148.73}{1997.50} = 2.578$

i.e. **(Sum total amount to be paid under Power Supply Agreement for that particular month /sum total electricity supplied during that particular month)**

T-I to T-IX are projects commissioned after Electricity (Uniform Renewable Energy Tariff for Central Pool) Rules, 2022 comes into force.

continued operation of pool:

Let us say above scenario is in the month M-4. In the beginning of month M-5, additional capacity of 250 MW (T-X) is getting commissioned and to be included as a part of the Pool. Accordingly considering generation during month M-5, the tariff for the month M-5 will be calculated considering actual generation during the month M-5 as per following:

Scheme	Capacity	Tariff-PPA	Tariff-PSA	Schedule Energy supplied during the Month	Amount to be paid to Project developers by IP under PPA	Amount to be paid to IP by EP under PSA
	(MW)	(INR/kWh)	(INR/kWh)	(MU)	(Rs in Million)	(Rs in Million)
		A	(B=A+ Rs 0.07/kWh)	C	(D=A x C)	(E= B x C)

T-I	2000	2.502	2.572	415.95	1040.70	1069.81
T-II	600	2.440	2.510	131.49	320.84	330.04
T-III	1200	2.585	2.655	248.34	641.96	659.34
T-IV	1150	2.540	2.610	234.63	595.97	612.39
T-V	480	2.613	2.683	95.97	250.72	257.44
T-VI	900	2.710	2.780	174.22	472.15	484.34
T-VIII	1200	2.502	2.572	258.60	646.92	665.03
T-IX	2000	2.372	2.442	438.30	1039.65	1070.33
T- X*	**250**	**2.17**	**2.24**	**56.61**	**122.85**	**126.81**
Total	**9780**			**2054.12**	**5131.76**	**5275.54**

*New addition to the pool in the month M-5

Tariff of the month (INR/kWh) $= \frac{\sum_1^9 E+E_{10}}{\sum_1^9 C+C_{10}} = \frac{5148.73+126.81}{1997.50+56.61} = \frac{5275.54}{2054.12} = 2.568$

i.e. **(Sum total of amount to be paid under PSA for that particular month /sum total electricity supplied during that particular month)**

T-I to T-X are projects commissioned after Electricity (Uniform Renewable Energy Tariff for Central Pool) Rules, 2022 comes into force.

Note:IP - Intermediary Procurer, EP - End Procurer

Schedule-II
(see rule 14)

Fuel and Power Purchase Adjustment Methodology

1. Computation of fuel and power purchase adjustment surcharge:

(1) For these rules "Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge" (FPPAS) means the increase in cost of power, supplied to consumers, due to change in Fuel cost, power purchase cost and transmission charges with reference to cost of supply approved by the State Commission

(2) Fuel and power purchase adjustment surchargeshall be calculated and billed to consumers,automatically, without going through regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula, prescribed by the respective the State Commission, subject to true up, on an annual basis, as decided by the State Commission:

Provided that the automatic pass through shall be adjusted for monthly billing in accordance with these rules.

(3) Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the distribution licensee, in $(n+2)^{th}$ month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase and Inter-state Transmission Charges for the power procured during the n^{th} month. For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the month of June of the same financial year:

Provided that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surchargewithin this time line, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surchargeshall be forfeited and in such cases, the right to recovery the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during true-up shall also be forfeited.

(4) The distribution licensee may decide, fuel and power purchase adjustment surcharge or a part thereof, to be carried forward to the subsequent month in order to avoid any tariff shock to consumers, but the carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed a maximum duration of two months and such carry forward shall only be applicable, if the total fuel and power purchase adjustment

surchargefor a Billing Month, including any carry forward of fuel and power purchase adjustment surchargeover the previous month exceeds twenty per cent of variable component of approved tariff.

(5) The carry forward shall be recovered within one year or before the next tariff cycle whichever is earlier and the money recovered through fuel and power purchase adjustment surcharge shall first be accounted towards the oldest carry forward portion of the fuel and power purchase adjustment surchargefollowed by the subsequent month.

(6) In case of carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge, the carrying cost at the rate of State Bank of India Marginal cost of Funds-based lending Rate plusone hundred and fifty basis points shall be allowed till the same is recovered through tariff and this carrying cost shall be trued up in the year under consideration.

(7) Depending upon quantum of fuel and power purchase adjustment surcharge, the automatic pass through shall be adjusted in such a manner that,

(i) If fuel and power purchase adjustment surcharge≤5%, 100% cost recoverable of computed fuel and power purchase adjustment surchargeby distribution licensee shall be levied automatically using the formula.

(ii) If fuel and power purchase adjustment surcharge>5%, 5% fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically as per 6(i) above. 90% of the balance fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically using the formula and the differential claim shall be recoverable after approval by the State Commission during true up.

(8) The revenue recovered on account of pass through fuel and power purchase adjustment surcharge by the distribution licensee, shall be trued up later for the year under consideration and the true up for any financial Year shall be completed by 30th June of the next financial year.

(9) In case of excess revenue recovered for the year against the fuel and power purchase adjustment surcharge, the same shall be recovered from the licensee at the time of true up along with its carrying cost to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate approved by the State Commission and the under recovery of fuel and power purchase adjustment surchargeshall be allowed during true up, to be billed along with the automatic Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge amount.

Explanation:-For example in the month of July, the automatic pass through component for the power supplied in May and additional Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge, if any, recoverable after true up for the month of April in the previous financial year, shall be billed.

(10) The distribution licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between expenses incurred and the fuel and power purchase adjustment surchargerecovered, and the detailed computations and supporting documents, as required by the State Commission, during true up of the normal tariff.

(11) To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and its recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source software as available.

(12) The licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula, calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surchargeand recovery of fuel and power purchase adjustment surcharge (separately for automatic and approved portions) on its website and archive the same through a dedicated web address.

3. Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:

(4) Formula:

$$\text{Monthly FPPAS for nth Month (\%)} = \frac{(A-B)*C + (D-E)}{\{Z * (1- \text{Distribution losses in\%}/100)\} * ABR}$$

Where,

Nth month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in (n-2)th month

A is Total units procured in (n-2)th Month (in kWh) from all Sources including

Long-term, Medium –term and Short-term Power purchases(To be taken from the bills issued to distribution licensees)

No. 23/18/2022-R&R
Government of India
Ministry of Power
*****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg.
New Delhi, 5th July, 2023

To,

1 Secretary, MNRE, New Delhi
2. Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi
3. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi
4. Principal Secretaries/Secretaries (Power/Energy) of all State Governments/UTs
5 Secretaries of All State Electricity Regulatory Commissions/JERCs.
6. Chairman/CMDs of all PSUs under administrative control of Ministry of Power.
7. CMD, SECI, New Delhi
8. CMDs/MDs of Discoms/Gencos of all State Governments
9. CMD, IEX LTD New Delhi & MD/CEO, PXIL, Mumbai/ HPX New Delhi.
10. DG, Association of Power Producers, New Delhi.
11. President, FICCI, House No. 1, Tansen Marg New Delhi
12. President, CII, New Delhi
13. President, PHDCCI, New Delhi
14. ASSOCHAM, Chanakya Puri, New Delhi
15. Member, PRAYAS Energy Group, Pune
16. DG, Electric Power Transmission Association (EPTA), New Delhi
17. Chairman Indian Wind Power Association, New Delhi
18. Chairman, Indian Wind Turbine Manufacturers Association, New Delhi
19. Director General, National Solar Energy Federation of India (NSEFI), New Delhi.
20. DG, Solar Power Developers Association, New Delhi.

Subject: **Electricity (Amendment) Rules, 2023.**

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the Electricity (Amendment) Rules, 2023 for information.

Yours faithfully,

Encl: as above

(Rajesh Kaushik)
Under Secretary to the Govt. of India
011-23730265

Copy for information to:
1. PS to Hon'ble Minister of Power and NRE, APS to Hon'ble MoSP.
2. SS&FA/AS/All Joint Secretaries/All Chief Engineer/Economic Adviser, MoP.
3 Sr. PPS to Secretary (Power), PS to CE (R&R), All Dir./All DS, MoP.

Copy to: Technical Director, NIC Cell for uploading on MOP's website under "New Notices" with the heading of **"Electricity (Amendment) Rules, 2023 ".**

B is bulk sale of power from all Sources in (n-2)th Month. (in kWh) = (to be taken from provisional accounts to be issued by State Load Dispatch Centre by the 10th day of each month).

C is incremental Average Power Purchase Cost= Actual average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources in (n-2) month (Rs./ kWh) (computed) - Projected average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources (Rs./ kWh)- (from tariff order)

D = Actual inter-state and intra-state Transmission Charges in the (n-2)th Month, (From the bills by Transcos to Discom) (in Rs)

E = Base Cost of Transmission Charges for (n-2)th Month. = (Approved Transmission Charges/12) (in Rs)

Z = [{Actual Power purchased fromall the sources outside the State in (n-2) th Month. (in kWh)* (1 – Inter-state transmission losses in % /100) + Power purchased from all the sources within the State(in kWh)}*(1 – Intra state losses in %) – B]/100 in kWh

ABR = Average Billing Rate for the year (to be taken from the Tariff Order in Rs/kWh)

Distribution Losses (in %) = Target Distribution Losses (from Tariff Order)

Inter-state transmission Losses (in %) = As per Tariff Order

(5) The Power Purchase Cost shall exclude any charges on account of Deviation Settlement Mechanism.

(6) Other charges which include Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch shall not be included in Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge and adjusted though the true-up approved by the State Commission.

Note: The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended notification number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020.

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸೆಸ್ಕ್/ತಾಂತ್ರಿಕ /ಸಪ್ರವ್ಯ-04/E-467928/23-24/ CYS-552 ದಿನಾಂಕ: 17 JUL 2023

ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

1. ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು/ಹಾಸನ.
3. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, (ಆಂ.ಪ), ನಿಗಮಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು/ಹಾಸನ.
5. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲೆಕ್ಕ&ಕಂದಾಯ/ ಹಣಕಾಸು/ ಆಂ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಯೋಜನೆ/ ಖರೀದಿ/ ತಾಂತ್ರಿಕ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ,
7. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
8. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್)ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು.
9. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ.
10. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ/ ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ/ ಜಾಗೃತದಳ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು.
11. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ.
12. ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು/ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಡತ/ ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.02 22:47:55 +05'30'